भारत सरकार
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2328
05 अगस्त, 2022 के लिए प्रश्न
'एक राष्ट्र एक राशन कार्ड' योजना का कार्यान्वयन

2328. श्री राम नाथ ठाकुरः

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) 'एक राष्ट्र-एक-राशन-कार्ड (ओएनओआरसी) योजना', जिसमें यह प्रावधान है की जो राशन कार्ड धारक जहां है उसे वहीं राशन कार्ड के माध्यम से राशन मिल सके, के अंतर्गत राशन कार्ड उपलब्ध कराने के संबंध में क्या स्थिति है;

(ख) क्या इस संबंध में कोई अध्ययन कराया गया है कि राशन कार्ड के माध्यम से राशन उपलब्ध कराने के प्रावधान से आम आदमी को महंगाई से कितनी राहत मिल रही है; और

(ग) क्या सरकार महंगाई को ध्यान में रखते हुए अधिक राशन कार्ड जारी करने के लिए मानदंडों में शिथिलता देने पर विचार करेगी, ताकि आम आदमी को इससे राहत मिल सके?

उत्तर
ग्रामीण विकास तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री
(साध्वी निरंजन ज्योति)

(क): सभी 36 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा एक राष्ट्र एक राशन कार्ड (ओएनओआरसी) योजना लागू की गई है और इस प्रकार इस योजना की परिधि के भीतर लगभग 80 करोड़ संपूर्ण एनएफएसए आबादी को कवर किया जा रहा है।

(ख): राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) का कार्यान्वयन और लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) प्रचालनों का, नियुक्त की गई मॉनिटरिंग संस्थान (एमआईएस), जिसमें ख्यातिप्राप्त विश्वविद्यालय और संस्थान शामिल हैं, के जरिए समवर्ती मूल्यांकन के एक भाग के रूप में, विभाग द्वारा, अन्य बातों के साथ-साथ, सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के चयनित जिलों में ओएनओआरसी योजना के कार्यान्वयन का चरणबद्ध रूप से मूल्यांकन कराया गया। इन मूल्यांकन संबंधी अध्ययनों से यह स्पष्ट होता है कि लाभार्थी, राशन कार्ड में जुड़े हुए राशन की दुकानों पर निर्भर हुए बिना अपनी पसंद के किसी भी उचित दर दुकान से अपने एनएफएसए और पीएमजीकेएवाई खाद्यान्न प्राप्त करने के लिए राशन पोर्टेबिलिटी सुविधा का लाभ ले रहे हैं। इस तथ्य की पुष्टि इससे भी होती है कि अब तक **77 करोड़** से अधिक पोर्टेबल लेन-देन दर्ज किया गया है और **3.4 करोड़** से अधिक पोर्टेबल लेन-देन प्रत्येक माह दर्ज किए जा रहे हैं, जिससे आम लोगों द्वारा ओएनओआरसी की व्यापक स्वीकार्यता दिख रही है।

.....2/-

(ग): राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) लगभग 81.35 करोड़ व्यक्तियों के लिए अधिकतम कवरेज प्रदान करता है और वर्तमान में लगभग 79.73 करोड़ व्यक्तियों को एनएफएसए के तहत अत्यधिक राजसहायता प्राप्त खाद्यान्न प्राप्त करने और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) के तहत नि:शुल्क राशन प्राप्त करने के लिए कवर किया गया है।

इसके अलावा, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र हटाए गए डुप्लीकेट/अपात्र राशन कार्ड के बदले में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के तहत अधिकतम सीमा के अध्यधीन वास्तविक रूप से पात्र परिवारों/लाभार्थियों को सतत रूप से नए राशन कार्ड जारी करते हैं ताकि राजसहायता प्राप्त खाद्यान्नों के लिए उचित लक्ष्य को हासिल किया जा सके।

******